

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 120 / 2014

संस्थित दिनांक-28.04.2014

फाईलिंग नंबर-230303005942014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1- उदयसिंह पुत्र डरूलाल जाति जाटव
उम्र 50 साल
- 2- नरेश जाटव पुत्र प्रभूदयाल जाटव
उम्र 28 साल
- 3- दलवीर जाटव पुत्र तेजसिंह जाटव
उम्र 22 साल
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाटव
उम्र 20 साल
समस्त निवासीगण पुराना घनश्यामपुरा
वार्ड नंबर-1 गोहद

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री पी0के0 वर्मा अधिवक्ता ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 09 जनवरी-2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 452, 326 / 34, 323 / 34 (दो बार) एवं 506 भाग-2 भा0द0वि0 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 05.11.2013 के शाम आठ बजे पुराना घनश्यामपुरा वार्ड नंबर-1 में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियारों लोहे का बखा, हॉकी एवं लाठियों से सुसज्जित होकर फरियादीगण पूरनसिंह, इन्द्रजीतसिंह एवं रामबेटी को मारपीट करने के लिये उनके आवासीय मकान में आकर गृह अतिचार कारित किया एवं लोक दृश्य स्थान पर फरियादी / आहतगण को मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देकर क्षोभ कारित किया तथा आरोपी नरेश ने सख्त व धारदार हथियार लोहे के बका (धारदार अस्त्र) से आहत पूरनसिंह के सिर में मारकर तथा फरियादी इन्द्रजीत एवं आहत रामबेटी को सख्त व मौथरी वस्तु से मारपीट कर को दाहिने हाथ की छोटी वाली अंगुली में कुल्हाड़ी से मारकर अस्थि भंजन कारित कर चोटें पहुंचाकर क्रमशः स्वेच्छापूर्वक घोर एवं साधारण उपहतियां एवं फरियादी / आहतगण को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया।

- 2^प प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आरोपी उदयसिंह व गजेन्द्र आपस में पिता-पुत्र हैं तथा प्रकरण के आहतगण भी आपस में पति-पत्नी होकर एक ही परिवार के हैं तथा आरोपीगण एवं फरियादीगण घटना के पहले से एक दूसरे को जानते हैं व पड़ोसी हैं।
- 3^प अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 05.11.13 को 8.00 बजे शाम फरियादी इन्द्रजीत ने थाना गोहद में इस आशय की रिपोर्ट की, कि दिनांक 05.11.13 की शाम करीब आठ बजे वह अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी उसके सामने वाला नरेश जाटव बोला कि तू यहाँ क्यों बैठा है। उसने कहा कि वह अपने दरवाजे पर बैठा है तो नरेश जाटव उसे माँ बहिन की भद्दी भद्दी गालियों देने लगा। उसने गाली देने से मना किया सोई वह बोला कि मादरचोद अभी देखता हूँ और वह अपने घर चला गया। वह अपने कमरे में आकर टी0वी0 देखने लगा। उसके पिता उसी कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे कि नरेश जाटव लोहे का बका हाथ में लिये आया और कमरे के अंदर घुस आया और बोला कि मादरचोद कहाँ है तो उसके पिता पूरनसिंह ने कहा कि क्या बात है। सोई नरेश ने उसके पिता के सिर में लोहे का बका मारा। सिर में सामने की तरफ लगा। खून बहने लगा तो वहीं पर उसके पिताजी लुढ़क गये। इतने में दलवीर जाटव गडरौली वाला हॉकी लेकर, गजेन्द्र एवं उदयसिंह जाटव कमरे में अंदर घुस आये। दलवीर ने एक हॉकी पिताजी के दाहिने हाथ की कलाई में मारी। उसने तथा उसकी माँ रामबेटी ने बचाया तो गजेन्द्र व उदयसिंह ने उसकी व उसकी माँ की लात घूँसों से मारपीट की। वह चिल्लाया तो उसके भाई रवि व सामंत आ गये जिन्होंने घटना देखी और बचाया। तब वह चारों लोग जाते समय कह गये कि आज तो बचा लिया आईदा जान से मार देंगे।
- 4^प उक्त आशय की रिपोर्ट थाना गोहद के असल अपराध क्रमांक-210/13 अंतर्गत धारा-323, 324, 452, 294, 506-बी 34 भा.दं.वि. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम की गयी। अनुसंधान के दौरान धारा-326 भा.दं.वि. का इजाफा किया गया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया।
- 5^प जे0एम0एफ0सी0 श्री केशवसिंह द्वारा दिनांक-23.04.14 को प्रकरण में अन्य धाराओं के साथ धारा-326 भा0द0वि का भी अपराध होने से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को उपार्पित किए जाने पर माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से प्रकरण अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
6. अभियोग पत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 452, 326/34, 323/34 (दो बार) एवं 506 भाग-2 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में फरियादी पिता पुत्र द्वारा शराब पीकर आपस में लड़ने के कारण चोटें पहुँचना एवं उन्होंने आरोपीगण को रंजिश के

कारण झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। बचाव पक्ष ने अपनी ओर से मनोज ब0सा0-1 का कथन कराया है।

7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
- 1- क्या आरोपीगण ने दिनांक 05.11.13 के शाम आठ बजे पुराना घनश्यामपुरा वार्ड नंबर-1 गोहद में फरियादी/आहतगण को संतुष्ट करने वाली अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
 - 2- क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में पुराना घनश्यामपुरा वार्ड नंबर-1 गोहद में स्थित फरियादी इन्द्रजीतसिंह के घर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर धारदार हथियारों लोहे का बका, हॉकी, एवं लाठियों से सुसज्जित थे?
 - 3- क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में फरियादीगण पूरनसिंह, इन्द्रजीतसिंह एवं रामबेटी को मारपीट करने के लिये उनके आवासीय मकान में आकर गृह अतिचार कारित किया ?
 - 4- क्या, उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने आपस में मिलकर इन्द्रजीतसिंह, पूरनसिंह व रामबेटी को गंभीर व साधारण उपहति पहुंचाने के लिए सामान्य आशय का निर्माण किया ?
 - 5- क्या, उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण में से आरोपी नरेश ने उक्त निर्मित सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत पूरनसिंह को सख्त व धारदार हथियार लोहे के बका से मारकर स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित की ?
 - 6- क्या, उक्त सुसंगत घटना में उक्त निर्मित सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपीगण ने इन्द्रजीतसिंह एवं उसकी माँ रामबेटी को सख्त व मौथरी वस्तु से स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहति कारित की?
 - 7- क्या, उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने फरियादीगण/आहतगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डॉ0 आलोक शर्मा (अ0सा0 1), इन्द्रजीत (अ0सा0 2), पूरनसिंह (अ0सा0 3), रामबेटी (अ0सा0 4), रविकुमार (अ0सा05), जगदीश (अ0सा06), सामंतसिंह (अ0सा07), तहसीलदारसिंह (अ0सा08), अजयसिंह (अ0सा09) एवं डॉ शिशिर अग्रवाल (अ0सा010), डॉ0 आदित्य श्रीवास्तव (अ0सा011), शिवकुमार शर्मा (अ0सा012) की साक्ष्य कराई है। आरोपीगण की ओर से अपने बचाव में मनोज ब0सा0-1 का कथन कराया गया है।

-:-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 01 का निराकरण

- 9^ण इस संबंध में अभियोजन कथानक मुताबिक आरोपी नरेश के द्वारा रिपोर्टकर्ता इन्द्रजीत को जब वह अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था तो वहाँ माँ बहिन की भद्दी-भद्दी गालियाँ देना और मना

करने पर यह कहना बताया है कि मादरचोद अभी देखता हूँ जिसके आधार पर उक्त आरोप विरचित किया गया था जिसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें फरियादी/रिपोर्टकर्ता इन्द्रजीत अ0सा0-2 ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा-1 में भी इसी तरह की साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 05.11.13 को शाम के करीब आठ बजे अपने दरवाजे पर बैठा था तभी उसके पास आरोपी नरेश आया और बोला कि तू यहाँ क्यों बैठा है जिस पर उसने यह बताया कि वह अपने दरवाजे पर बैठा है तो वह उसे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा और मना करने पर बोला कि मादरचोद अभी देखता हूँ। इतना कहकर नरेश अपने घर चला गया और इन्द्रजीत अपने घर आकर टी0व्ही0 देखने लगा था। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य घटना के बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी सामंतसिंह अ0सा0-7 ने करते हुए यह बताया है कि वह अपने घर के बाहर आया था तब इन्द्रजीत अपने दरवाजे पर बैठा था। और नरेश ने उसे गाली-गलौच करते हुए कहा था कि बाहर क्यों बैठा है, घर के अंदर जाकर बैठ तो इन्द्रजीत ने कहा था कि वह अपने दरवाजे पर बैठा है, तुझे क्या लेना देना है। फिर नरेश ने गाली-गलौच की थी और गाली-गलौच करते हुए घर में चला गया था। इस बिन्दु पर और किसी साक्षी का कोई अभिसाक्ष्य नहीं आया है।

10^प अभिलेख पर इन्द्रजीत अ0सा0-2, पूरनसिंह अ0सा0-3, रामबेटी अ0सा0-4, रवि कुमार अ0सा0-5 और सामंतसिंह अ0सा0-7 के कथनों में घटनास्थल के संबंध में जो तथ्य आये हैं, उनमें सभी ने एकरूपता से यह तो बताया है कि फरियादी का घर दो मंजिला है जिनमें चार कमरे नीचे व दो कमरे उपर हैं। और सामंतसिंह का घर बगल में है। आरोपी नरेश, उदयसिंह के घर सामनेकी ओर हैं जैसा कि नक्शामौका प्र0पी0-3 में भी दर्शाया गया है जिससे आरोपीगण एवं फरियादी के मकानों के बीच में केवल आम रास्ता है और सभी के मकान एक ही मुहल्ले में हैं। सभी एक ही जाति बिरादरी के हैं। इस पर विरोधाभाष की स्थिति नहीं है। ऐसे में पक्षकारों की स्थिति पडोसी की हो जाती है। और अभिलेख पर उक्त उच्चारित बताये गये शब्द से इन्द्रजीत व सुनने वाले सामंतसिंह को कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ हो, ऐसा साक्ष्य में नहीं आया है। जबकि धारा-294 भा0द0वि0 के प्रमाण हेतु विधिक रूप से यह स्थापित होना आवश्यक है कि आरोपी के द्वारा लोक दृश्य स्थान पर ऐसे अश्लील शब्दों को उच्चारित किया गया हो जिससे सुननेवालों को क्षोभकारित हो। प्र0पी0-3 के मानचित्र को देखने से पक्षकारों के पडोसी होने की स्थिति के मद्देनजर घटनास्थल जो कि मकान का दरवाजा होकर आवास का ही अंश परिलक्षित होता है उसे लोक स्थान या लोक दृश्य स्थान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और क्षोभ उत्पन्न होने की साक्ष्य न होने से आरोपी नरेश के विरुद्ध धारा-294 भा0द0वि0 का आरोप संदिग्ध हो जाता है। तथा अन्य अभियुक्तगणों के संबंध में इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में धारा-294 भा0द0वि0 का विरचित आरोप संदेह से परे प्रमाणित न होने से आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर धारा-294 भा0द0वि0 के आरोप

से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 02 व 3 का निराकरण

11^ण उक्त धारा 456 भा.दं.वि.के के विरचित आरोप के संबंध में विधिक रूपसे यह स्थापित होना आवश्यक है कि घटना आवासगृह के भाग में घटित हुई हो। और सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व घटित की गई हो। तथा कोई कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की पूर्व तैयारी के साथ कारावास आवास में प्रवेश किया गया हो। इस संबंधमें अभियोजन कथानक में प्र0पी0-2 की एफ0आई0आर0 मुताबिक घटना दिनांक-05.11.13 के रात करीब आठ बजे की पुराने घनश्यामपुरा वार्ड नंबर-1 गोहद स्थित फरियादी इन्द्रजीत के मकान के नीचे के कमरे की बताई गई है। जहाँ आरोपी नरेश हाथ में लोहे का बका लेकर, दलवीर हॉकी लेकर व उदयसिंह व गजेन्द्र खाली हाथ घुसे थे औरमारपीट की घटना को अंजाम देना बताया गया है। अभिलेख पर इस संबंधमें जो साक्ष्य आई है उसके मुताबिक फरियादी इन्द्रजीत अ0सा0-2 ने अभियोजन कथानक अनुरूप अपनी अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि जब नरेश ने उसे गाली दी और उसे देखने की कहकर अपने घर में चला गया तो वह भी अपने घर में आ गया था और टी0व्ही0 देखने लगा था। उसी कमरे में उसके पिता खाना खा रहे थे। माँ रामबेटी भी मौजूद थी। तभी नरेश लोहे का बका हाथ में लेकर घुस आया और बोला कि मादरचोद कहाँ है तो उसके पिता ने कहा कि क्या बात है इसी बात पर नरेश ने उसके पिता के माथे पर सामने की तरफ से लोहे का बका मार दिया था जिससे सिर में चोट आकर खून निकलने लगा और उसके पिता चोट लगकर लुढ़क गये। दलवीर जो हाथ में हॉकी लिये था, तथा गजेन्द्र व उदयसिंह भी घर में घुस आये थे। दलवीर ने उसके पिता के दांये हाथ में हॉकी मारी थी। उसने व उसकी माँ ने बचाने की कोशिश की तो आरोपीगण ने उसकी व रामबेटी उसकी माँ की भी लात घूँसों से मारपीट की थी। चिल्लाने पर उसका भाई रवि व सामंत भी आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी और बीच बचाव किया था।

12^ण साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट किया है कि उनके घर में खाना उपर बनता है। रवि छत पर खाना खा रहा था वह उसके माता पिता व भाई सभी एक ही घर में रहते हैं। सामंत का मकान उसके मकान से लगा हुआ है और सामंत के घर पर उस दिन फूफाजी जगदीश व ताई भी थे क्योंकि वह एक घण्टे पहले ही सामंत के घर से आये थे। इससाक्षी की अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में बताये इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है कि आरोपीगण उनके टी0व्ही0 वाले कमरे में जहाँ वह टी0व्ही0 देख रहा था और उसके पिता खाना खा रहे थे माँ मौजूद थी वहाँ नहीं आये। घटना के मुख्य आहत पूरनसिंह अ0सा0-3 ने अपनी अभिसाक्ष्य में अ0सा0-2 की तरह ही अभिसाक्ष्य दिया है। और यह बताया है कि वह घर के बैठका में खाना खा रहाथा। इन्द्रजीत बैठा टी0व्ही0 देख

रहा था। उसकी पत्नी खाट पर लेटी थी तब नरेश बका लेकर घुसा था। उदय, दलवीर व गजेन्द्र भी आये थे। दलवीर के हाथ में हॉकी थी। उसने अपनी और अपने पत्नी की मारपीट आरोपीगण द्वारा करना बताया है। और यह कहा है कि घटना वाले दिन दीवाली की दौज का दिन था। यह भी स्पष्ट किया है कि उस दिन दौज होने से आलू की सब्जी बनी थी और मंगोड़े पूड़ी बने थे। उदयसिंह, गजेन्द्रसिंह का खाली हाथ आना उसने स्वीकार किया है और इस साक्षी की अभिसाक्ष्य में भी इस बात का खण्डन नहीं हुआ है कि आरोपीगण उनके मकान के अंदर नहीं आये। रामबेटी अ0सा0-4 ने भी अ0सा0-3 की तरह ही समर्थन किया है। और रविकुमार अ0सा0-5 एवं सामंतसिंह अ0सा0-7 ने भी आरोपीगण की कमरे के अंदर घुसने की संपोषक साक्ष्य दी है।

13^प आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये विस्तृत लिखित एवं मौखिक तर्कों में यह भी व्यक्त किया गया है कि घटनास्थल का नक्शामौका तैयार करने वाले विवेचक ने फरियादी का मकान एक मंजिला बताया है जबकि इन्द्रजीत, पूरनसिंह, रामबेटी, रवि और सामंतसिंह दो मंजिला मकान बताते हैं जो गंभीर विरोधाभाष है। और मकान में घुसनेकी बात असत्य है। मूलतः उन्होंने पूव में दरवाजे को लेकर हुए विवाद और बकरियों के उपर से हुए विवाद पर से रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लेते हुए इस बात पर बल दिया है कि पूरनसिंह शराब पीने का आदी है और घटना वाले दिन दीवाली की दौज का दिन था तथा पूरनसिंह शराब के नशे में अपने मकानके उपर की सीढियों से उतर रहा था और उसे गिर जानेसे चोटें आई थीं। और रंजिश के कारण उसने अपने सादू भाई भोलाराम जो कि पुलिस में प्र0आर0 है, उसकी मदद से झूठा मामला बनवा दिया है। इस बिन्दु पर आरोपीगण की ओर से मनोज ब0सा0-1 का बचाव में कथन भी कराया है। जो कि उसी मुहल्ले का निवासी है जिसने उक्त लिये गये बचाव के आधार की तरह ही अभिसाक्ष्य दिया है। बचाव साक्षी की अभिसाक्ष्य के संबंधमें अन्य विचारणीय बिन्दुओं पर साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय विचार किया जावेगा। किन्तु बचाव पक्ष की ओर से जो तर्क किये गये हैं और जो बचाव साक्ष्य दी है उससे अ0सा0-3 लगायत अ0सा0-5 तथा अ0सा0-7 के द्वारा दिये गये इस कथन की पुष्टि होती है कि फरियादी का मकान दो मंजिला है जिस पर उपरी मंजिल पर जाने के लिये सीढियाँ हैं। ऐसे में घटना के विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमारशर्मा अ0सा0-12 के अभिसाक्ष्य में मकान पैरा-5 में एक मंजिला बताने से कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। न कोई संदेह माना जा सकता है क्योंकि विवेचक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने केवल दो कमरों को ही देखा था और मकान को नहीं देखा। ऐसे में उसका दो मंजिला मकान न देख पाना प्रकट होता है। और उससे कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं माना जा सकता है। अभिलेख पर अ0सा0-2 लगायत अ0सा0-5 तथा अ0सा0-7 की जो साक्ष्य आई है उससे आरोपीगण का फरियादी के आवासीय मकान में उपहति की घटना कारित करने के आशय से

अनाधिकृत रूप से रात के करीब आठ बजे प्रवेश किये जाने की पुष्टि होती है। और इस संबंध में अभिलेख पर प्रत्यक्ष मौखिक विश्वसनीय साक्ष्य विद्यमान है जिससे धारा-456 भा0द0वि0 के अपराध के प्रमाण हेतु आवश्यक अवयवों की पूर्ति अभिलेख पर हो जाती है। और उससे युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपीगण फरियादी की मारपीट करने की पूर्व तैयारी के साथ उनके आवास में बताई गई घटना के समय हथियारों से सुसज्जित होकर घुसे थे जिससे उनके आवासीय मकान में रात्रोप्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया जाना प्रमाणित निर्णीत करते हुए आरोपीगण को जिनकी कि घटनास्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित हुई है, उन्हें धारा-456 भा.दं.वि.के अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 04 लगायत 06 का निराकरण

14^ण उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्न उपहति संबंधी होने से साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो, एवं सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

15^ण इस संबंध में अभियोजन कथानक मुताबिक घटनास्थल वाले आवास में नरेश का लोहे का बका लेकर, उसके पीछे ही दलवीर का हॉकी और गजेन्द्र व उदयसिंह का खाली हाथ प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया जाना और आरोपी पूरनसिंह को बका और हॉकी से चोटें पहुंचाई जाना तथा रामबेटी एवं इन्द्रजीत को लात छतूनों से मारपीट किये जोन की घटनाबताई गई है। जिसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें सर्वप्रथम चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन और विश्लेषण करना उचित होगा।

16^ण प्रकरण के कथानक मुताबिक रामबेटी और इन्द्रजीत का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है जैसा कि स्वयं इन्द्रजीत और स्वयं रामबेटी ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है। हालांकि घटना के बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी सामंतसिंह अ0सा0-7 ने उक्त घटना में इन्द्रजीत, रामबेटी, रवि को भी चोटिल होना बताते हुए बीच बचाव में स्वयं को भी गर्दन पर, नाखूनों की छिलन के निशान आ जाना पैरा-4 में बताया है। और यह भी स्पष्ट किया है कि उनका कोई मेडिकल परीक्षण नहीं हुआथा जिसका आगे विश्लेषण किया जायेगा। सर्वप्रथम चिकित्सीय साक्ष्य देखना उचित है।

17^ण परीक्षित साक्षियों में से डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 05.11.2013 को सीएचसी गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहतेहुए पुलिस गोहदद्वारा आहत पूरनसिंह को लाये जाने पर उसकी चोटों का परीक्षण करना बताते हुए उसके शरीर पर तीन चोटें बताई हैं जिनमें सिर के बीच के भाग में 7 गुणित 2 सेमी का एक कटा हुआ घाव जो माथे से सिर तक जा रहा था, पाना बताया है जिससे खून बह रहा था और उसके किनारे शॉर्प (नियमित) थे तथा दांयी कलाई पर 5 गुणित 3 से0मी0 का एक फटा हुआ घाव भी पाया था। उक्त दोनों चोटों

के एक्सरे परीक्षण की सलाह दी गई थी। बांये पैर में नीचे निचले एक तिहाई हिस्से में 1 गुणित 0.3 गुणित 0.2 सेमी0 का फटा घाव भी पाया था। चिकित्सक के मुताबिक आहत पूरी तरह होश हवास में था। सिर की चोट क्र0-1 धारदार वस्तु की व शेष चोटें सख्त और मौथरी वस्तु से आना संभावित थी। चोट क्र0-3 जो बांये पैर में थी वह साधारण प्रकृति की थी और सिर व हाथ की चोट का प्रकार एक्सरे के आधार पर ही बताया जा सकता है। इस आशय का अभिमत देते हुए प्र0पी0-1 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना बताया है। और प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिये जाने पर यह संभावना भी व्यक्त की है कि यदि आहत किसी धारदार वस्तु से टकराये यास गिरे तो चोट नंबर-1 आ सकती है और किसी ठोस सतह पर गिरने की दशा में चोट क्र0-2 व 3 आना संभव है। तथा आहत स्वयं गिरे तो भी उक्त प्रकार की चोटें आ सकती हैं। चोट क्र0-2 व 3 किस दिशा की ओर अधिक फटी थीं इसका उल्लेख मेडिकल रिपोर्ट में न होनेसे वह नहीं बता सकता है।

18^प इस तरह से डॉ0 आलोकशर्मा अ0सा0-1 के द्वारा प्र0पी0-1 की एमएलसी रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है जिसके मुताबिक घटना दिनांक को आहत पूरनसिंह के शरीर पर प्र0पी0-1 में वर्णित चोटें विद्यमान थीं। उसकी चोट क्र0-1 व 2 की प्रकृति एक्सरे परीक्षण पर आधारित बताई हैं जिसके संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की ओर से डॉ0 शिशिर अग्रवाल अ0सा0-10 को भी अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि दिनांक 06.11.13 को वह गालव सी0टी0 स्कैन सेंटर ग्वालियर पर रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था तब आहत पूरनसिंह का सी0टी0 स्कैन किया गया था। जिसके सिर में बाईं तरफ फ्रेन्टल बोन में अस्थिभंजन था तथा दिमाग के दांयी तरफ की फ्रेन्टल बोनमें चोट होकर गूमडा (हॉमोरेजिक कन्ट्यूजन) पाया था जिसमें खून भी था। उसके द्वारा सी0टी0 स्कैन की रिपोर्ट सी0टी0 स्कैन के एक्सरे प्लेट प्र0पी0-12 ए के आधार पर प्र0पी0-12 की तैयार की गई थी। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी0-12 की सी0टी0स्कैन रिपोर्ट में इस बात का उसने इस बात का उल्लेख किया है कि वह विधिक कार्यवाही के लिये मान्य नहीं है। चिकित्सीय रिपोर्ट के लिये किस चिकित्सक द्वारा रिफर किया गया था इसका उल्लेख भी प्र0पी0-12 में नहीं है लेकिन उनके सेन्टर में रिकॉर्ड रहता है जो वह साथ नहीं लाया है। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि प्र0पी0-12 में आहत की बल्दियत व निवास का उल्लेख नहीं किया है और पहचानसंबंधी चिन्ह का भी उल्लेख नहीं है। और यदि आहत का नाम किसी ने गलत बताया हो तो वह नहीं कह सकता है क्योंकि वह आहत को पहले से नहीं जानता था। प्र0पी0-12 की रिपोर्ट में रिफर करने वाले चिकित्सक का कॉलम बना हुआ है एवं उसमें नाम इसलिये अंकित नहीं है क्योंकि डॉक्टरों की ड्यूटी समय समय पर बदलती रहती है।

19^प डॉ0शिशिर अग्रवाल के संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित व मौखिक तर्कों में यह व्यक्त किया गया है

कि प्र0पी0-12 की रिपोर्ट सर्वप्रथम तो विधिक कार्यवाही के लिये मान्य नहीं है इसलिये उसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। तथा उसमें आहत का पूरा नाम पता भी अंकित नहीं है, न ही पहचान का चिन्ह है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि वह घटना के आहत पूरनसिंह से ही संबंधित है। रिफर करने वाले चिकित्सक का भी कोई नाम अंकित नहीं है इसलिये उक्त रिपोर्ट अग्राह्य की जावे। जबकि विद्वान ए0जी0पी0 का तर्क है कि उक्त रिपोर्ट पुलिस द्वारा संकलित कर अभियोगपत्र का अंग बनाई गई है और अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की हो। तथा डॉ0 शिशिर अग्रवाल को मय रिकॉर्ड के तलब नहीं किया गया था इसलिये बचाव पक्ष का पहचान संबंधी बिन्दु उठाना निरर्थक है। और रिपोर्ट चूंकि चोट के संबंध में है इसलिये मान्य किये जाने योग्य है।

20^ण प्र0पी0-12 की सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट और उससे संबंधित सी0टी0 स्कैन प्लेट प्र0पी0-12 ए के संबंध में जहाँ तक उसकी ग्राह्यता का प्रश्न उठाया गया है, तो सी0टी0स्कैन सेन्टर द्वारा केवल यह अंकित कर देना कि वह विधिक कार्यवाही के लिये मान्य नहीं है, अग्राह्य नहीं की जा सकती है क्योंकि हस्तगत मामले में अन्य परीक्षित चिकित्सक डॉ0 आदित्य श्रीवास्तव जो जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में न्यूरो सर्जरी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर दिनांक 06.11.13 को पदस्थ था, जो कि शासकीय अस्पताल है। उसने आहत पूरनसिंह का दिनांक 06.11.13 को न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती होना स्पष्ट रूपसे बताया है। तथा प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट किया है कि सी0टी0स्कैन की सुविधा उनके अस्पताल में नहीं है ऐसे में प्राइवेट सेन्टर से सी0टी0 स्कैन कराया जाना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है जिसे दृष्टिगत रखते हुए प्र0पी0-12 की सी0टी0स्कैन रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्राह्य माना जावेगा। जहाँ तक रिफर करने वाले चिकित्सक का प्र0पी0-12 में उल्लेख न होने का प्रश्न है, डॉ0 आदित्य श्रीवास्तव अ0सा0-11 के द्वारा भी जो अभिमत दिया गया है और प्र0पी0-13 के डिस्चार्ज टिकट में जो उल्लेख किया गया है व चोट की प्रकृति बताई है वह उक्त प्र0पी0-12 की सी0टी0स्कैन रिपोर्ट व प्र0पी0-12 ए की सी0टी0स्कैन प्लेट पर आधारित है। जैसा कि अ0सा0-11 ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इसलिये भी सी0टी0स्कैन रिपोर्ट और उससे संबंधित सी0टी0स्कैन प्लेट साक्ष्य में ग्राह्य योग्य दस्तावेज है।

21^ण जहाँ तक आहत की पहचान का प्रश्न है, इस संबंध में भी अ0सा0-11 ने यह स्पष्ट किया है कि प्र0पी0-12 में रिफर करने वाले चिकित्सक का उल्लेख नहीं है और उसके आधार पर ही प्र0पी0-13 का डिस्चार्ज टिकट बनाया गया था जिसमें भी रिफर करने वाले चिकित्सक का उल्लेख नहीं है। क्योंकि इसका उल्लेख केस शीट में किया जाता है। ऐसे में सी0टी0स्कैन के लिये रिफर करने वाले चिकित्सक के नाम का अभाव प्र0पी0-12 व 13 को अग्राह्य किये जाने के लिये पर्याप्त और उचित नहीं माना जा सकता है और बचाव पक्ष की ओर से जो बचाव का आधार लिया गया है

उसमें भी वे यह तो स्वीकार करते हैं कि घटना दिनांक को पूरनसिंह चोटिल हुआ था किन्तु उन्होंने शराब के नशे में सीढ़ियों पर से गिरने पर चोटिल होना बताया है जबकि अभियोजन कथानक मुताबिक उसे उपहति आरोपीगण द्वारा पहुंचाई जाना बताई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में चिकित्सकीय साक्ष्य ग्राह्य योग्य है। इसलिये डॉ० शिशिर अग्रवाल अ०सा०-10 का अभिसाक्ष्य विश्वास योग्य माना जावेगा। और उससे प्र०पी०-12 की सी०टी०स्केन रिपोर्ट व प्र०पी०-12 ए की सी०टी०स्केन रिपोर्ट प्रमाणित मानी जावेगी।

22^ए डॉ० आदित्य श्रीवास्तव ने प्र०पी०-13 के डिस्चार्ज टिकट के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि उसे उसके अधीनस्थ चिकित्सक डॉ० राकेश द्वारा उसके निर्देशन पर तैयार किया गया था। और उसका उपचार भी उसके निर्देशन पर अधीनस्थ चिकित्सकों द्वारा किया गया था। उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य को बचाव पक्ष के द्वारा इस आधार पर अविश्वसनीय मानने का तर्क किया गया है कि सर्वप्रथम तो प्र०पी०-13 उक्त चिकित्सक के द्वारा नहीं लिखा गया है और संबंधित चिकित्सक डॉ० राकेश के कथन नहीं कराया गया है। तथा चोट के संबंध में उक्त डॉक्टर को आहत द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, न चिकित्सक द्वारा पूछी गई, न पुलिस को उक्त चिकित्सक द्वारा कोई सूचना दी गई है। इसलिये उक्त चिकित्सक का अभिसाक्ष्य अविश्वसनीय माना जावे जिसका भी विद्वान ए०जी०पी० द्वारा विरोध किया गया।

23^ए डॉ० आदित्य श्रीवास्तव अ०सा०-11 के संपूर्ण अभिसाक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा भी आहत को देखा गया था जिसके सिर में चोट थी और जांच करने पर बांये फ्रन्टल लोभ में खून का थक्का जमा थ व फ्रन्टल बोन की हड्डी का अस्थिभंजन भी पाया गया था और दिनांक 06.11.13 ससे 13.11.13 तक भर्ती भी रखकर उपचार किया गया था। उक्त चिकित्सक ने सी०टी०स्केन रिपोर्ट के आधार पर आहत की चोट प्राणघातक होना बताया था। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त चिकित्सक द्वारा आहत का परीक्षण नहीं किया गया। क्योंकि उसके निर्देशन में ही उपचार हुआ है। इसलिये आहत की पहचान के संबंध में प्र०पी०-12 एवं 13 में उल्लेख न होना ऐसी स्थिति में गौण हो जाता है। तथा चोटिल व्यक्ति से घटना के संबंध में कोई हिस्ट्री न ली जाना अभियोजन के मुताबिक घातक नहीं है क्योंकि चिकित्सक के लिये ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह जानकारी ले और जब किसी झगड़े में चोटिल होने का बिन्दु उत्पन्न होता है तभी पुलिस को सूचना दिये जाने का कर्तव्य चिकित्सक पर आता है। चूंकि आहत से इस संबंध में कोई पूछताछ ही नहीं हुई है इसलिये पुलिस को डॉ० श्रीवास्तव के द्वारा सूचना न देना भी अभियोजन के लिये घातक नहीं माना जावेगा। और इसी आधार पर उसके साक्ष्य को ग्राह्य भी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि प्र०पी०-13 की डिस्चार्ज टिकट की टीप भी सी०टी०स्केन रिपोर्ट पर ही आधारित है। और चिकित्सक का यह भी स्पष्ट कहना रहा है कि हैड इंजुरी में अस्थिभंजन खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे भी

सीटीस्कैन प्रकरण के लिये आवश्यक हो जाता है और वह ग्राह्य योग्य दस्तावेज है। तथा प्र०पी०-13 शासकीय नियोजन के दौरान तैयार किया गया दस्तावेज होने से भी ग्राह्य योग्य है। जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आहत पूरनसिंह को सिर में जो चोट आई थी, वह गंभीर प्रकृति की थी और कड़े घाव के रूप में थी। जो कि धारा-326 भा.दं.वि.के अपराध को आकर्षित करता है और चिकित्सकों के अभिसाक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं जिससे चिकित्सकों की साक्ष्य को अग्राह्य या अविश्वसनीय माना जा सके। ऐसे में चिकित्सकों की साक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष की आपत्ति बे-बुनियाद ठहराई जाती है। और यह पाया जाता है कि आहत पूरनसिंह को प्र०पी०-1 की एमएलसी मुताबिक जो चोटें पाई गई थीं वे घटना दिनांक व समय की हैं जिसमें सिर की चोट गंभीर प्रकृति की है। और अब यह देखना होगा कि क्या आहत पूरनसिंह को पहुंचाई गई उक्त चोटें आरोपीगण के द्वारा उनमें से किसी के द्वारा ही कारित की गई हैं? यह प्रत्यक्ष साक्ष्य व परिस्थितियों के आधार पर ही निष्कर्षित करना होगा।

24^प जहाँ तक आरोपीगण के सामान्य आशय निर्मित करने का बिन्दु है, इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में से इन्द्रजीत अ०सा०-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में यह तो बताया है कि जब वह अपने दरवाजे पर बैठा था तो नरेश ने उसे गाली-गलौच की थी। मना करने पर अभी तुझे देखता हूँ कहकर अपने घर में चला गया। फिर इन्द्रजीत भी अपने घर में आकर टी०व्ही० देखने लगा तब नरेश सबसे पहले लोहे का लेकर घर में घुसा था जिस पर उसके पिता ने कहा कि क्या बात है तब नरेश ने उसके पिता को माथे पर बका मारा था। इसके बाद दलवीर हॉकी लेकर, गजेन्द्र व उदयसिंह खाली हाथ घर में घुस आये थे। तथा दलवीर ने उसके पिता को हॉकी से मारा था। तथा उसके एवं उसकी माँ के बचाने पर उसकी माँ रामबेटी को भी लात घूसों से मारा था। चिल्लाने पर उसके भाई रवि व पड़ोसी सामंत जो कि उसका रिश्तेदार है, वे आये थे, उन्होंने बीच बचाव किया था। इस तरह से उक्त साक्षी सर्वप्रथम नरेश उसके पीछे ही शेष आरोपीगण का घर में घुस आना बताता है। और सभी आरोपीगण का घटना में शामिल होकर सक्रिय रूप से भाग लियाजाना भी वह कहता है। प्रतिपरीक्षण के पैरा-5 में भी इसी तरह से उसने दोहराया है। केवल उदयसिंह पर लाठी होना वह अतिरिक्त बताता है। जो कि कथानक में उदयसिंह का खाली हाथ होना बताया गया है। पैरा-6 में उसने यह भी कहा है कि उसके पिता झगड़े के समय बेहोश होगये थे। और रवि व सामंत उसके पिता को अस्पताल लेकर गये थे। रिपोर्ट उसने लिखाई थी। रिपोर्ट के बाद वह अपने घर आ गया था। और उसकी माँ तथा भाभी घर उसके साथ रही थी। वह अस्पताल नहीं गया था अन्य मुहल्ले वाले मौके पर नहीं आये थे।

25^प पूरनसिंह अ०सा०-3 जो कि घटना का मूल आहत है, उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में यही बताया है कि वह अपने घर के बैठका में खाना खा रहा था तभी नरेश ने आकर उसके सिर में चोट मारी थी। इन्द्रजीत वहीं बैठा था उसकी पत्नी भी खाट पर लेटी थी।

नरेश के बका मारने पर वह गिर गया था। उदय, दलवीर व गजेन्द्र भी उस समय थे। दलवीर ने उसके हाथ में हॉकी मारी थी व उदय व गजेन्द्र ने लात घूंसों से मारा था। तथा उसकी पत्नी की भी आरोपीगण ने लातघूंसों से मारपीट की थी। उसके बाद उपर वाले कमरे से उसका लडका आ गया था। पैरा-4 में उसने इन्द्रजीत के बताये घटनाक्रम अनुसार पुष्टि की है कि घटना के पहले इन्द्रजीत दरवाजे पर बैठा था तब वह अंदर ही था। घटना के पहले आरोपीगण की उसके लडके से क्या बात हुई, यह उसे पता नहीं है लेकिन मुंहवाद होने का पता है। रवि उपर छत पर था। सामंत अपने दरवाजे पर बैठा था। इस साक्षी ने पैरा-5 में उदयसिंह व और गजेन्द्र का खाली हाथ होना और लातघूंसों से मारना बताया है। सिर की चोट के संबंध में उसने नरेश के द्वारा पहुंचाई जाना और माथे से लेकर सिर तक घाव होना बताते हुए यह कहा है कि उसकी नाक, मुंह और सिरसे खून भी निकला था। वह चार पांच घण्टे तक बेहोश नहीं हुआ था। रात में बारह बजे के बाद बेहोश हुआ था और फिर नौ दिन तक बेहोश रहा था। यह बात उसके घरवालों ने उसे बाद में बताई थी। नरेश के हाथ में उसने बका मारते समय देखा था। बका का फन नहीं देख पाया था कि कितना बड़ा था। पैरा-6 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसे बका लगने के समय मौके पर रवि व सामंत आ गये थे। फिर उसने बका लगने के बात दोनों को बताई है। और यह कहा है कि उसके साथ थाने पर रवि सामंत गये थे, इन्द्रजीत नहीं गया था। 8-9 दिन बेहोश रहने के बा पुलिस उसके पास आई थी। उसके पहले नहीं आई। झगड़ेवाले दिन सामंत अपने घर पर था। और उसके घर पर जगदीश भी आया था जिसे उसने घटना के पहले देखा था क्योंकि बगल में ही घर है और आवाज आती है। मुहल्ले के अन्य लोग मौके पर नहीं आये थे। उसका लडका इन्द्रजीत थाने गया था। अस्पताल साथ नहीं गया था। अस्पताल में उसकी पत्नी व सामंत गये थे।

26^प पूरनसिंह अ0सा0-3 ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि एस0डी0ओ0पी0 गोहद के यहाँ उसके सादू भाई भोलाराम प्र0आर0 के रूप में पदस्थ हैं जो उसके घर आते जाते भी हैं और घटना के दूसरे दिन आये थे तब भोलाराम को पूरी घटना बताई थी लेकिन रिपोर्ट उसके पहले ही हो चुकी थी। इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस ने प्रभावमें आकर झूठी कार्यवाही की है। ऐसा ही इन्द्रजीत अ0सा0-2, रामबेटी अ0सा0-4, रवि अ0सा0-5 और सामंतसिंह अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य में भी आया है।

27^प बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि भोलाराम प्र0आर0 एस0डी0ओ0पी0 गोहद के कार्यालय में पदस्थ है और उसके प्रभाव में पुलिस ने झूठी कार्यवाही की जिसे उक्त साक्षियों ने इन्कार किया। इसके अलावा घटना की एफआईआर के लेखक प्र0आर0 तहसीलदारसिंह अ0सा0-8 एवं विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ0सा0-12 ने भी इन्कार कर बचाव पक्ष के इस आधार का खण्डन किया है कि एस0डी0ओ0पी0 कार्यालय में पदस्थ भोलाराम के कहने से झूठी कार्यवाही या अनुसंधान किया गया है।

जैसी कि लिखित तर्कों में भी आपत्ति ली गई है किन्तु अभिलेख पर परीक्षित साक्षियों के कथनों में ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि घटना के समय या घटना के पश्चात रिपोर्ट होने के पूर्व भोलाराम फरियादी पक्ष के संपर्क में आया हो और उसने एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में कोई भूमिका निभाई हो। प्र0पी0-2 की एफआईआर घटना के तत्काल पश्चात बिना किसी विलंब के इन्द्रजीत अ0सा0-2 के द्वारा दर्ज कराई गई जिसे तहसीलदारसिंह अ0सा0-8 ने दर्ज करना बताया है। और दोनों के ही अभिसाक्ष्य में भोलाराम की उपस्थिति या भूमिका के बारे में तथ्य नहीं आये हैं इसलिये बचाव पक्ष का यह आधार कि उक्त प्रकरण पंजीबद्ध होनेमें भोलाराम प्र0आर0 की कोई भूमिका रही, खण्डित हो जाता है। और उसका बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। हालांकि यह तथ्य स्वीकार हुआ है कि भोलाराम फरियादी पक्ष का रिश्तेदार है किन्तु रिश्तेदार होने मात्र के आधार पर ऐसी कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है कि उसने कार्यवाही में कोई भूमिका निभाई हो। इसलिये यह आधार कोई विधिक महत्व नहीं रखता है।

28^ण मूल घटना के संबंध में इन्द्रजीत अ0सा0-2 व पूरनसिंह अ0सा0-3 की साक्ष्य का समर्थन रामबेटी अ0सा0-4, रविकुमारअ0सा0-5 और सामंतसिंह अ0सा0-7 की अभिसाक्ष्य से होता है जिन्होंने घटना देखना बताया है। उनके कथनों में केवल इसबात पर विरोधाभाष उत्पन्न है कि रामबेटी कमरे में खाट पर लेटी थी या सो रही थी। सोने की पुष्टि किसी भी साक्षी ने नहीं की है और घटना में रामबेटी की भी मारपीट होना सभी साक्षी बताते हैं। विधिमें आहत व्यक्ति का विशेष स्थान होता है क्योंकि आहत व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित होने की इन्विल्ट गारंटी रखता है। और ऐसे साक्षी के बारे में यह नहीं माना जा सकता है कि वह असल अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को असत्य रूपसे फंसायेगा। इसकी संभावना भी कम रहती है। इस कारण आहत व्यक्ति के कथनों पर तब तक विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के अभिलेख पर अच्छे आधार न हों। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **अब्दुल सैयद विरुद्ध म0प्र0 राज्य (2010)वोल-10 एससीसी पेज-259** अवलोकनीय है। ऐसे में रामबेटी या पूरन की मौके पर उपस्थिति की इन्विल्ट स्थिति है क्योंकि दोनों को ही चोटिल बताया गया है और घटनास्थल वाले कमरे में इन्द्रजीत की भी मौजूदगी रवि व सामंत पूरन के चोटिल होने पर तत्काल ही आ जाना उनकी अभिसाक्ष्य में आया है। ऐसे में उनकी स्थिति घटना के चक्षुदर्शी साक्षी की मानी जावेगी। रवि अ0सा0-5 और सामंत अ0सा0-7 के कथनों में यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ है कि पूरन को चोट लगने के तत्काल बाद ही वह मौके पर आ गये थे। अर्थात् उन्होंने आरोपीगण को मौके पर देखा है। यह उनकी साक्ष्य से भी सुनिश्चित हुआ है जिससे घटना कारित करने में आरोपीगण के सामान्य आशय के तहत सक्रिय रूप से भाग लिया जाना माना जावेगा। अभिलेख पर उक्त साक्षियों के कथनों में जो तथ्य आये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आरोपी उदयसिंह और

गजेन्द्र पिता पुत्र होकर एकसाथ रहते हैं, दलवीर का अलग मकान है और नरेश का अलग मकान है। लेकिन वह सभी एक ही स्थान पर आसपास ही निवासरत हैं।

29^प साक्षी जगदीश अ0सा0-6 जो कि आरोपीगण की गिरफ्तारी और उनसे हथियारों की जप्ती का साक्षी है, जिसके संबंध में वह पक्षविरोधी रहा है किन्तु उसने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके परिवार के हैं। यह तथ्य अखण्डनीय है। ऐसे में आरोपीगण के अलग-अलग निवासरत होने के बावजूद घटना कारित करने के लिये उनका आपस में मिलकर सामान्य आशय बनाया जाना ही उपधारित होगा क्योंकि बचाव पक्ष के द्वारा रंजिश का बिन्दु भी उठाया गया है कि घटना के पहले जब फरियादीगण का मकान बन रहा था तब दरवाजे के उपर से विवाद हुआ था और उसी विवाद के चलते झूठा मामला बनवाया गया है। मकान बनते समय दरवाजे को लेकर फरियादी आरोपीगण का विवाद होना साक्षियों ने भी स्वीकार किया है। किन्तु यह एक ऐसा बिन्दु है जो घटना को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि घटना के कितने समय पहले मकान बना और दरवाजे का विवाद हुआ, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर साक्षीगण ने यह भी माना है कि आरोपीगण के यहाँ उनका आना-जाना और बोलचाल नहीं है। अर्थात् सामान्य संबंध नहीं हैं इसे रंजिश का बिन्दु माना जावे तो रंजिश एक ऐसी दुधारू तलवार है जो दोनों तरफ से वार करती है। अर्थात् जहाँ एक ओर रंजिश झूठा फंसाये जाने की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर यह भी संभावना है कि रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया गया हो इसलिये यह बिन्दु भी बचाव पक्ष को लाभ नहीं पहुंचाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत रूली एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2002) एससीसी (किमिनल) पेज-1837 अवलोकनीय है।

30^प आरोपीगण अलग-अलग निवास अवश्य करते हैं किन्तु जिस तरह से घटना कारित करने में उनकी भूमिका अ0सा0-2 लगायत 5 व अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य से प्रकट हुई है उससे यह तो स्पष्ट है कि प्रारंभिक विवाद की शुरुआत नरेश और इन्द्रजीत के मध्य हुई। फिर फरियादी के मकान में जो मूल घटना घर में घुसकर मारपीट की गई, उसमें सभी आरोपीगण की मौजूदगी है। ऐसे में उनका मौके पर ही सामान्य आशय निर्मित हो जाना उपधारित होगा। माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत जीतू सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 भाग-2 जेएलजे पेज-83 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि जहाँ सभी अभियुक्तों द्वारा भाग लिया जाना आहत, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, चिकित्सीय रिपोर्ट और एफआईआर द्वारा साबित होता हो तो सामान्य आशय माना जावेगा। ऐसी स्थिति में आरोपीगण का सामान्य आशय के तहत घटना कारित करने में अग्रसर होना माना जावेगा। और नरेश के पहले कमरे में घुसने, उसके बाद शेष आरोपीगण के प्रवेश करने से सामान्य आशय खण्डित नहीं होता है जैसाकि बचाव पक्ष की दलील है।

31^प इन्द्रजीत अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है

कि उनके पिता पूरन कभी भी शराब नहीं पीते हैं जबकि स्वयं पूरनसिंह अ0सा0-3 ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि वह शादी, विवाह समारोह आदि में जब कभी एकाध पैक शराब पी लेता है। वैसे शराब नहीं पीता है। और रामबेटी अ0सा0-4 ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसके पति कभी कभार त्यौहार या शादी विवाह में शराब पी लेते हैं। उसने पैरा-5 में यह स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन दीवाली की दौज थी। इसलिये उसके पति ने थोड़ी बहुत शराब पी ली होगी। किन्तु अ0सा0-2 लगायत 5 व अ0सा0-7 ने इस बात से साफ तौर से इन्कार किया है कि घटना के समय पूरनसिंह ने शराब पी थी और वह उपर के कमरे से सीढियों से नीचे उतरते समय गिर गया था जिससे उसे चोटें आईं। और पुरानी बुराई पर उक्त चोटों का लाभ लेकर झूठी रिपोर्ट करा दी। जैसा कि बचाव पक्ष का मूल बचाव का आधार है। इस संबंध में यह बात सही है कि शराब पीने के बिन्दु पर इन्द्रजीत व रवि जो कि आहत पूरन के पुत्र हैं, वे आहत पूरन और रामबेटी से भिन्न कथन करते हैं क्योंकि सामंत ने भी पैरा-5 में यह स्वीकार किया है कि पूरन कभी-कभार शराब पी लेते हैं। किन्तु घटना दिनांक को पूरन के द्वारा शराब का सेवन किया गया था, ऐसा चिकित्सीय साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। क्योंकि घटना के तत्पश्चात सर्वप्रथम डॉ0आलोक शर्मा अ0सा0-1 के द्वारा पूरन का मेडिकल परीक्षण किया गया जिसमें उसने चोटें पाईं। उसने आहत पूरन के शरीर में शराब के सेवन का कोई बिन्दु नहीं पाया। न ही प्र0पी0-1 की एमएलसी रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख है। और न ही बचाव पक्ष के द्वारा डॉ0 आलोकशर्मा को सुझाव देकर ऐसा कोई प्रश्न किया गया कि घटना दिनांक को पूरन के द्वारा शराब का सेवन किया गया था या नहीं और शराब पीकर सीढियों से गिरने की दशा में उक्त प्रकार की चोट आ सकती हैं या नहीं।

32^प अभिलेख पर रवि अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य में फरियादी के मकान के बारे में स्थिति स्पष्ट हुई है। उपरी मंजिल पर जाने के लिये पत्थर का जीना है और बारह सीढियाँ हैं जिनसे उतरकर वह आया था। यदि आहत पूरनसिंह सीढियों से उतरते समय गिर कर चोटिल होता तो भिन्न स्थिति चोटों के संबंध में आनी चाहिए थी। सीढियों से गिरने की दशा में यदि सिर, माथे में कोई चोट आयेगी तो वह फटे घाव के रूप में होनी चाहिए। जबकि पूरन की चोट क्र0-1 कटे घाव के रूप में माथे से सिर की ओर बीच में सीधी है और उसके किनारे भी नियमित होना चिकित्सीय साक्ष्य में बताये गये हैं जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। ऐसे में दुर्घटना स्वरूप गिरने से चोटिल होने का लिया गया बिन्दु चिकित्सीय साक्ष्य से स्थापित नहीं होता है न ही आहत का घटना के दूसरे दिन जेएच हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग में उपचार के मय उपचार करने वाले चिकित्सक डॉ0 आदित्य श्रीवास्तव अ0सा0-11 ने शराब के सेवन संबंधी कोई तथ्य बताया है, न ही बचाव पक्ष के द्वारा उनसे पूछा गया न ही सी0टी0 स्कैन करने वाले डॉ0शिशिर अग्रवाल से इस संबंध में कोई राय ली गई है। इसलिये बचाव पक्ष का यह आधार

स्वमेव ही खण्डित हो जाता है कि आहत पूरनसिंह को आई चोटें शराब के नशे के समय सीढियों से उतरने पर आई होंगी। जैसा कि बचाव साक्षी मनोज अ0सा0-1 ने अपनी अभिसाक्ष्य में बताया है किन्तु उसकी बात इसलिये नहीं मानी जा सकती है क्योंकि बचाव साक्षी के रूप में कथन देते समय ही प्रथम बार उसके द्वारा सीढियों पर गिरने पर पूरन को चोटिल होने की बात बताई गई है और मनोज की फरियादी के घर में घटना दिनांक को कोई उपस्थिति नहीं बताई गई है। ऐसे में बचाव साक्षी का सीढियों से पूरनसिंह का छत पर से खाना खाकर उतरते समय गिरने का दिया गया साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

33^ए हालांकि यह सुस्थापित विधि है कि बचाव साक्षी को भी अभियोजन साक्ष्य की तरह ही महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत केशरदान विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2005 (3) एम0पी0एल0जे0 पेज 550 में मार्गदर्शित किया गया है किन्तु जिस तरह का अस्वाभाविक कथन बचाव साक्षी मनोज देता है उससे उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और मनोज की मौके पर उपस्थिति के संबंध में भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं आई है। साक्षी रवि कुमार अ0सा0-5 के पैरा-9 में घटना के समय आसपास के जिन लोगों की मौजूदगी बताई गई है उनमें मनोज का नाम नहीं बताया गया है। मुकेश, पूरन, अमरसिंह और दिनेश के नाम अवश्य आये हैं जिनमें से कोई बचाव साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया है। इसलिये बचाव साक्ष्य निरर्थक है। और उससे बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है।

34^ए बचाव पक्ष द्वारा यह बिन्दु भी उठाया गया है कि आहत पूरन, रामबेटी, इन्द्रजीत रवि और सामंत सभी आपस में ऐ ही परिवार के सदस्य होकर हितबद्ध साक्षी हैं और स्वतंत्र साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं है। स्वतंत्र साक्षी जगदीश अ0सा0-6था जिसने झगगा होनेसे इन्कार किया है इसलिये उक्त साक्ष्य पर विश्वास न किया जावे। इस संबंध में विधिक स्थिति देखी जाये तो यह सही है कि अ0सा0-2 लगायत 5 व अ0सा0-7 आपस में रिश्ते के साक्षी हैं क्योंकि आहत पूरन और रामबेटी पति पत्नी हैं, रवि व इन्द्रजीत दोनों उनके पुत्र हैं तथा सामंत उनके परिवार का है किन्तु सभी की घटनास्थल पर उपस्थिति उनकी साक्ष्य से स्पष्ट हुई है और इसके संबंध में कोई भी संदेह की स्थिति नहीं है ऐसे में उक्त साक्षियों पर केवल रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर न तो अविश्वास किया जा सकता है और न ही उन्हें इस आधार पर अग्राह्य किया जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वीरेन्द्र पोतदार विरुद्ध स्टेट ऑफ़ विहार ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 पेज-233 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है। और यह अवश्य कहा गया है कि रिश्ते के साक्षियों की सावधानीपूर्वक छानबीन करनी चाहिए। अ0सा0-2 लगायत अ0सा0-5 एवं अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य में पूरन के कभी कभी शराब पीने के बिन्दु पर विरोधाभाष के अलावा कोई तात्त्विक विरोधाभाष या विषंगति

मूल घटना के संबंध में नहीं आई है। और उन्होंने सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हुए अपनी अपनी मौके पर उपस्थिति की स्थिति स्पष्ट करते हुए स्वाभाविक साक्ष्य दी है। इसलिये उनकी अभिसाक्ष्य भरोसे योग्य है। सामंत के द्वारा यह अवश्य कहा गया है कि इन्द्रजीत, रवि व रामबेटी और वह स्वयं को भी उभरी हुई चोटें आई थीं जिसका चिकित्सीय साक्ष्य से अवश्य समर्थन नहीं है। इस आधार पर ही उसको अग्राह्य नहीं किया जा सकता है। क्योंकि किसी घटना के बारे में कोई साक्षी कैसा वृत्तांत देगा, इसके बारे में कोई सार्वभौम नियम नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सोचने समझने की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। और एक ही घटना को अनेक व्यक्तियों से पूछे जाने पर वे अपनी अपनी तरह से उसे बताते हैं। इसलिये औपचारिक विरोधाभाष घटना को प्रभावित नहीं करते हैं।

35^प आहत पूरनसिंह के बेहोश होने और बेहोश बने रहने के संबंध में साक्ष्य में भिन्नता आई है क्योंकि पूरन के मुताबिक वह घटना के तत्काल बाद बेहोश नहीं हुआ बल्कि रात में बेहोश हुआ और फिर आठ-नौ दिन तक बेहोशी की स्थिति में रहा जबकि रिपोर्टकर्ता इन्द्रजीत के मुताबिक सिर की चोट लगते ही उसके पिता लुढ़क गये थे और बेहोश हो गये थे। और बेहोश ही बने रहे। बेहोश होने के बावत रामबेटी और रवि के भी कथन आये हैं किन्तु यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि साक्षी ग्रामीण परिवेश के हैं और सामान्यतः ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों में यह धारणा रहती है कि घटना को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जाये ताकि उन पर विश्वास किया जा सके। इसलिये स्वाभाविक रूपसे बढ़ा चढ़ाकर कथन देने से पूरी साक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है। बल्कि यह तथ्य प्रतिपरीक्षा में सुझाव दिये जाने पर प्रकट होते हैं इसलिये उन्हें तात्त्विक विरोधाभाष की श्रेणी में रखा जा सकता है। और दण्डिक विधि के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त कि एक बात में मिथ्या तो सब बातों में मिथ्या की सूक्ति भारत में लागू नहीं होती है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रंजीतसिंह एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 एआईआर 2011 एससी पेज-255 में प्रतिपादित किया गया है। इसलिये मामूली और औपचारिक विरोधाभाष जो उत्पन्न हुए हैं, उनके आधार पर अ0सा0-2 लगायत अ0सा0-5 तथा अ0सा0-7 को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है।

36^प जगदीश अ0सा0-6 जो कि आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं जप्ती पत्रक से संबंधित साक्षी है, जिसने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है और यह कहा है कि उसके सामने आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। हालांकि वह गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-7 व 9 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता हैं। दलवीर से लकड़ी की लाठी प्र0पी0-10 के अनुसार एवं नरेश से लोहे का बका प्र0पी0-11 के जप्ती पत्रकों अनुसार जप्त किये जाने से वह इन्कार करते हुए प्रतिपरीक्षा के पैरा-3 में बचाव पक्ष के इस सुझाव पर यह स्वीकार करता है कि पूरनसिंह ने अपने सादू भोलाराम दीवानजी से मिलकर आरोपीगण को झूठे केस में फंसा दिया है किन्तु उसकी यह

बात इसलिये विश्वासयोग्य नहीं है क्योंकि पैरा-2 में उसने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके परिवार के हैं ऐसे में आरोपीगण को बचाने के उद्देश्य से उसका पक्ष विरोधी हो जाना प्रकट होता है। ऐसे में उक्त साक्षी के पक्ष विरोधी हो जाने को अभियोजन के लिये घातक नहीं माना जा सकता है।

37^प तहसीलदारसिंह अ0सा0-8 के द्वारा प्र0पी0-1 की एफआईआर लेखबद्ध करना और पूरनसिंह को चोटिल होने से उसे मेडिकल परीक्षण हेतु सीएचसी गोहद भेजा जाना उसने बताया है। पूरन घायल अवस्था में था और उसका लडका इन्द्रजीत साथ आय था जिसने रिपोर्ट लिखाई थी। क्योंकि पूरन बेहोशी की हालत में था। इसलिये उससे पूछताछ करना उसने आवश्यक नहीं समझा था। उक्त साक्षियों के संबंधमते बचाव पक्ष का यह तर्क रहा है कि उक्त प्र0आर0 ने धारा-324 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज की जबकि वह न तो चिकित्सक है और न ही उसे चिकित्सीय कोई योग्यता हासिल है। इसलिये उसकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। किन्तु यह तर्क इसलिये मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्र0पी0-1 की एफआईआर में स्पष्ट रूप से जो कथानक बताया गया है उसमें आरोपी नरेश के द्वारा लोहे के बका से घटना कारित करना और पूरन को चोटें पहुंचाई जाना बताया गया है और सामान्य बुद्धि विवेक से भी यह समझा जा सकता है कि बका एक धारदार हथियार हो होता है और ससे पहुंचाई जाने वाली चोटें भले ही वह साधारण स्वरूप की भी हों तब भी धारा-324 भादवि आकर्षित होती है। ऐसे में उक्त प्र0आर0 के द्वारा धारा-324 भादवि के संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना विधि विरुद्ध या प्रक्रिया विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। और इस बिन्दु पर भी किया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

38^प विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमारशर्मा अ0सा0-12 के द्वारा आरोपीगण की गिरफ्तारी और बका की जप्ती स्वयं उसके पेश करने पर किया जाना तथा दलवीर से लाठी की जप्ती उसके पेश करने पर जप्त किया जाना बताया गया है। दलवीरसे हॉकी की जप्ती नहीं हुई है एवं सख्त व मौथरी वस्तु से जो चोट आना बताई गई है वह साधारण प्रकृति की होती है। ऐसे में एफआईआर में हॉकी और जप्ती में लाठी का विरोधाभास होने से भी मूल घटना पर कोई दुष्प्रभाव नहीं माना जा सकता है। और विवेचक के द्वारा सी0टी0स्केन रिपोर्ट के आधार पर धारा-326 भादवि का इजाफा करना बताया गया है जिसमें गंभीर प्रकृति की चोटें बताई गई थी। और धारदार हथियार की थी। ऐसे में विवेचक द्वारा की गई उक्त धारा का इजाफा भी नियमविरुद्ध नहीं माना जा सकता है। हालांकि उक्त विवेचक के मुताबिक सी0टी0स्केन रिपोर्ट उसे थाना प्रभारीद्वारा उपलब्ध कराई गई थी तथा उन्हें कैसे प्राप्त हुई इसके बारे में जानकारी का अभाव होना बताया गया है। किन्तु इससे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। और यह सुस्थापित विधि भी है कि विवेचक की किसी कमी या त्रुटि के कारण घटना को अप्रमाणित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिये बचाव पक्ष के विद्वान

अधिवक्ता का इस संबंधमें किया गया तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है।

39^ण

रवि कुमार अ0सा0-5 को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी अवश्य घोषित किया गया था किन्तु पैरा-1 में उसने मूल घटना स्पष्टतः बताते हुए समर्थन किया है और पैरा-2 में केवल कथन के संबंध में उसकी इन्कारी के आधार पर प्रतिपरीक्षा की भांति सूचक प्रश्न अभियोजन द्वारा पूछे गये थे जिसमें उसने सकारात्मक उत्तर देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि वह बयान लेना और पूछताछ करना एक ही बात नहीं समझ रहा था इसलिये उसने उपर अर्थात् पैरा-1 में बताया था। पूछने पर उसे समझ में आ गया है कि बयान देना और पूछताछ करना एक ही बात है इसलिये वह बता रहा है। इस तरह से उक्त साक्षी किसी बिन्दु पर अभियोजन के प्रतिकूल नहीं है। और प्रतिपरीक्षा में उसने समस्त तथ्य स्पष्ट करते हुए सभी बिन्दुओं पर बचाव पक्ष का समाधान किया है। और उसकी अभिसाक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ है कि वह जो भी साक्ष्य दे रहा है वह स्वयं की जानकारी के आधार पर और देखने के आधार पर दे रहा है। इसलिये उसे न तो चान्स विटनेस कहा जा सकता है और न ही बनावटी साक्षी कहा जा सकता है। ऐसे में अ0सा0-2 लगायत 5 और अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य मूल घटना के संबंध में विश्वास योग्य हैं। जिससे पूरनसिंह को आई चोटें प्र0पी0-2 की एफआईआर मुताबिक बताई गई घटना में ही आना और आरोपीगण के द्वारा ही पहुंचाई जाना प्रमाणित होता है। जिसमें चोट क्र0-1 नरेश के द्वारा व चोट क्र0-2 दलवीर के द्वारा पहुंचाई गई और चोट क्र0-3 जो कि पैर में है वह भी आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा ही कारित की गई है और पूरनसिंह की चोट क्र0-1 जो कड़े घाव के रूप में गंभीर प्रकृति की है, उससे धारा-326 भा.दं.वि.के का विरचित आरोप प्रमाणित होता है। और सामान्य आशय भी प्रमाणित होता है। इसलिये आरोपीगण पूरन की चोट क्र0-1 के संबंध में धारा-326/34 भा.दं. वि.के तहत अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने से दोषसिद्धि ठहराई जाती है।

40^ण

जहाँ तक रामबेटी के संबंध में धारा-323/34 भा.दं.वि.के विरचित आरोप का प्रश्न है, यह सही है कि रामबेटी का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है जैसा कि स्वयं रामबेटी ने भी माना है। और विवेचना अधिकारी ने भी माना है। कथानक मुताबिक रामबेटी को बीच बचाव करने पर लात घूंसों से मारपीट करना बताया गया है। जैसा कि स्वयं रामबेटी अ0सा0-4 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट किया है जिसकी पुष्टि इन्द्रजीत अ0सा0-4 और पूरनसिंह अ0सा0-3 ने भी की है। तथा मौके पर पहुंचे रविकुमार अ0सा0-5 और सामंतसिंह अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य से भी होती है। स्वेच्छया साधारण उपहति के मामले में हर परिस्थिति में चिकित्सीय साक्ष्य के समर्थन की विधिक रूपसे आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि चांटा मारना भी उसके अंतर्गत आ जाता है। ऐसे में यदि उभरी हुई कोई चोट लातघूंसों की मारने पर नहीं भी आती है तब भी धारा-323 भा.दं.वि.के का अपराध आकर्षित होगा और अभिलेख पर ऊपर वर्णित मुताबिक सभी आरोपीगण का सामान्य आशय प्रमाणित माना गया है। चूंकि घर

में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया है ऐसे में रामबेटी को आरोपीगण के द्वारा स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहति कारित किया जाना प्रमाणित माना जायेगा । इसलिये रामबेटी के संबंध में आरोपीगण को धारा-323/34 (एक बार) भादवि में भी अ0सा0-2 लगायत 5 एवं अ0सा0-7 के विश्वसनीय अभिसाक्ष्य को देखते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

41^प धारा-324/34 भादवि का आरोप इन्द्रजीत के संबंध में भी विरचित है क्योंकि वह दो बार लगाया गया है किन्तु अभिलेख पर अ0सा0-2 लगायत 5 व अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य में न तो इन्द्रजीत ने न ही किसी अन्य साक्षी ने यह बताया है कि घटना में आरोपीगण द्वारा इन्द्रजीत की भी लात घूंसों से मारपीट की गई है। जैसा कि कथानक में है। ऐसे में मौखिक प्रत्यक्ष साक्ष्य से ही इन्द्रजीत को उपहति कारित किये जाने की साक्ष्य न होनेसे उसके संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध धारा-323/34 भादवि का मामला प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होता है। किन्तु इस आधार परभी पूरनसिंह और रामबेटी के संबंध में साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इन्द्रजीत सिंह के संबंध में आरोपीगण को धारा-323/34(एकबार) भादवि के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 07 का निराकरण

42^प इस संबंध में कथानक मुताबिक यह बताया गया है कि जाते समय चारों आरोपीगण यह कहते हुए चले गये थे कि आज तो बच गया आईदा जान से मार देंगे। ऐसा ही इन्द्रजीत अ0सा0-2 भी पैरा-1 के अंत में बताता है किन्तु उसने अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया है कि दी गई उक्त धमकी के अनुक्रम में आरोपीगण के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया न ही उसकी अभिसाक्ष्य से दी गई धमकी से भयोप्रद होने का बिन्दु स्थापित होता है। क्योंकि इन्द्रजीत के द्वारा आरोपीगण के चले जाने के पश्चात तत्काल बिना किसी विलंब के घटना की थाने पर जाकर प्र0पी0-1 की रिपोर्ट लिखाई गई है। रामबेटी अ0सा0-4 ने भी आरोपीगण का जाते जाते यह कहना बताया है कि हम तुम्हें जान से खतम कर देंगे। किन्तु उसके द्वारा भी भयभीत होने की पुष्टि नहीं होती है। जबकि धारा-506 भाग-2 भादवि के लिये इस आशय की विधिक साक्ष्य आवश्यक है कि धमकी वास्तव में दी गई हो और उसे कार्य रूप में परिणित करने का कोई कृत्य किया गया हो तथा उससे पीडित व्यक्ति भयभीत होता हो। जिसका उक्त प्रकरण में अभाव है। इसलिये औपचारिक रूप से कहे गये शब्दों के आधार पर धमकी वास्तविक नहीं मानी जा सकती है। इसलिये धारा-506 भाग-2 भादवि के आरोप के संबंध में सुदृढ साक्ष्य का अभाव है। फलतः धारा-506 भाग-2 भादवि के आरोप से आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

43^प इस प्रकार से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर आरोपीगण धारा-294, इन्द्रजीत के संबंध में धारा-323/34 एवं

506भाग-2 भा.दं.वि.के के आरोपों से दोषमुक्त किये गये हैं तथा धारा-456 एवं पूरनसिंह की चोट के संबंध में धारा-323/34 और रामबेटी के संबंध में धारा-323/34 भा.दं.वि.के लिये दोषसिद्ध ठहराये गये हैं। आरोपीगण 21 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा जिस प्रकार की घटना कारित की गई है उसे देखते हुए आरोपीगण दोषसिद्ध अपराधों में न तो अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ पाने के अधिकारी हैं और न ही दोषसिद्ध अपराधों में केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जा सकता है। इसलिये दण्डाज्ञा पर सुनने के लिये निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

—::— द ण डा ज्ञा —::—

44^ण दण्डाज्ञा के बिन्दु पर ए.जी.पी. द्वारा कठोर दण्ड दिये जाने की प्रार्थना की। जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण प्रथम अपराधी है और गांव के ग्रामीण परिवेश के हैं और उनके परिवार की महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई थी और उसमें राजीनामा के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया गया और बालकिशन, बनवारी और मनीष की मारपीट भी हुई है, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भी नरम रुख अपनाते हुए अर्थदण्ड से छोड़ दिया जावे या अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर छोड़ दिया जावे।

45^ण उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दण्डाज्ञा पर किए गये तर्कों पर विचार किया गया। अभिलेख के अवलोकन व परिशीलन किया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर भी मनन किया गया। यह सही है कि बलात्कार संबंधी मामले के संबंध में पंचायत हुई थी किन्तु आरोपीगण को ऐसी पंचायत में जाने की ही आवश्यकता नहीं थी। उनका जाना, रामदास का हथियार सहित जाना इस बात का द्योतक है कि आरोपीगण के मन में द्वेष भावना थी जिसके कारण घटना को उन्होंने अंजाम दिया। ऐसे में जबकि बलात्कार संबंधी मामले में निराकरण होकर दोषसिद्धी हो चुकी है, उसके आधार पर नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता है और ग्रामीण परिवेश में इस तरह के अपराधों की पुनर्वृत्ति निरंतर होती रहती है इसलिये उन्हें हल्के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

46^ण हालांकि यह सही है कि अभिलेख पर आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धी का कोई प्रमाण ना होने से उनके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है। किन्तु मामले की परिस्थिति को देखते हुए दोषसिद्ध अपराध में विधि अनुसार केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर नहीं छोड़ा जा सकता है, ना ही अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर सदाचार की परीवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। क्योंकि ऐसा करने पर इस तरह के अपराधों पर अंकुश नहीं लग सकता है और समाज में शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती

है और यथोचित दण्ड आवश्यक है । घटना में हरीसिंह की छिंगुली अंगुली कट चुकी है इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए विचार उपरांत आरोपीगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है ।

आरोपी का नाम	दोषसिद्ध धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड की व्यतिक्रम अवधि
रामदास	326 भा.दं.वि. 324/34भा.दं.वि.	दो वर्ष सश्रम छः माह सश्रम	एक हजार रुपये -----	तीन माह
राजेश	326/34भा.दं.वि. 324 भा.दं.वि.	दो वर्ष सश्रम छः माह सश्रम	एक हजार रुपये -----	तीन माह
बनवारी	326/34भा.दं.वि. 324/34भा.दं.वि.	दो वर्ष सश्रम छः माह सश्रम	एक हजार रुपये -----	तीन माह

47^प अर्थदण्ड जमा न करने पर व्यतिक्रम में तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे ।

48^प जमा अर्थदण्ड में से 1000 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति आहत हरीसिंह को दिलाये जावें ।

49^प आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं ।

50^प आरोपीगण का सजा वारण्ट मय धारा-428 द.प्र.सं. के साथ बनाया जाकर जेल भेजा जावे । आरोपीगण को दोनों सजायें साथ साथ भुगतायी जावें ।

51^प आरोपीगण को निर्णय की निशुल्क प्रति प्रदान की जावे ।

52^प प्रकरण में जप्त संपत्ति लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरांत नष्ट की जावे ।

दिनांक: 09.01.2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड